

(छ) प्रचार मंत्री के कर्तव्य और अधिकार :

महामंत्री के कार्यों में सहयोग करना एवं कार्यकारिणी के निर्णयों के अनुसार संस्था के कार्यों का प्रचार-प्रसार करना। पत्र-पत्रिकाओं में समाचार आदि प्रकाशित करवाना।

(ज) कार्यालय मंत्री के कर्तव्य और अधिकार :

अध्यक्ष एवं महामंत्री के निर्देशानुसार संस्था के प्रधान कार्यालय का कार्य देखना एवं पत्राचार आदि करना। संस्था के रेकार्ड को सुरक्षित रखना।

10. सभाएँ :-

(अ) साधारण सभा :

- (1) चुनावी सभा के अलावा साधारण सभा लेखा-वर्ष में कम से कम एक बार प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर आयोजित की जावेगी।
- (2) साधारण सभा की सूचना सदस्यों को कम से कम 1 (एक) माह पूर्व प्रेषित करनी होगी।
- (3) सभा की सूचना संस्था के केन्द्रीय व शाखाओं के कार्यालय पर भी लगायी जायेगी। सभा की सूचना माहेश्वरी समाज द्वारा प्रकाशित ऐसे पत्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर माहेश्वरी समाज में जाती हो तथा हिन्दी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवानी होगी। इस प्रकार प्रकाशित सूचना भी सदस्यों को दी हुई सूचना मानी जायेगी।
- (4) इस सभा की गणपूर्ति (कोरम) कम से कम तीन सौ (300) सदस्यों की होगी जिसमें पाँच (5) पदाधिकारियों का होना आवश्यक होगा।
- (5) गणपूर्ति के अभाव में सभा सूचित समय के आधे घन्टे (30 मिनट) बाद आधे घन्टे (30 मिनट) के लिये स्थगित कर दी जायेगी तथा इसके पश्चात गणपूर्ति के अभाव में भी सभा की कार्यवाही मान्य रहेगी लेकिन केवल सूचित कार्यसूचि (एजेन्डे) में उल्लेखित विषयों पर ही चर्चा व निर्णय होंगे। विधान संशोधन संबंधी निर्णय तथा चुनाव कार्य ऐसी (स्थगित) बैठक में नहीं होंगे।
- (6) साधारण सभा के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे, परन्तु यदि किसी विषय विशेष पर बहुमत से अधिक मतों की आवश्यकता बतायी गयी है तो तदनुसार मतों से होंगे।



(ब) असाधारण सभा (विशेष सभा) :

- (1) संस्था के किसी विषय-विशेष हेतु 500 सदस्यों अथवा संस्था के  $1/4$  (एक चौथाई) सदस्यों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष द्वारा 2 (दो) महीने के अन्दर सभा बुलाई जायेगी, जिसमें ऊपर लिखित संख्या की  $3/4$  सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। यदि अध्यक्ष ऐसी बैठक निर्धारित समय में नहीं बुला रहे हैं तो मांग करने वाले सदस्य उस विषय पर विचार करने के लिए बैठक बुला सकते हैं।

11. साधारण सभा के अधिकार :-

- (1) प्रबन्धकारिणी समिति के लिए पदाधिकारियों के चुनाव।
- (2) जांच किये हुए आय-व्यय का अनुमोदन एवं अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पारित करना।
- (3) आवश्यकतानुसार विधान संशोधन एवं परिवर्तन करना।
- (4) संस्था अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर विचार करना।

12. प्रबन्धकारिणी समिति की सभाएं :-

- (1) प्रबन्धकारिणी समिति की सभा अध्यक्ष की सलाह से महामन्त्री बुलाएंगे, विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष स्वयं भी सभा बुला सकते हैं।
- (2) प्रबन्धकारिणी समिति की सभा साधारणतया तीन महीने में एक बार बुलाई जायेगी।
- (3) प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति (कोरम)  $1/3$  सदस्यों से होगी, जिसमें कम से कम 3 (तीन) पदाधिकारी होने चाहिए। पदाधिकारियों में अध्यक्ष अथवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षों में से एक एवं महामन्त्री अथवा मन्त्री में से एक अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए। गणपूर्ति के अभाव में सभा समय के आधे घण्टे (30 मिनट) बाद आधे घण्टे (30 मिनट) के लिये स्थगित कर दी जायेगी तथा इसके पश्चात् सूचित समय पर गणपूर्ति के अभाव में भी सभा की कार्यवाही मान्य रहेगी, लेकिन केवल सभा की कार्यसूचि (एजेन्डे) में उल्लेखित विषयों पर ही चर्चा व निर्णय होंगे।
- (4) सभा की सूचना 1 (एक) माह पूर्व सदस्यों को संस्था के पास उपलब्ध पते पर प्रेषित करनी होगी। आवश्यकता होने पर कम समय की सूचना से भी आवश्यक (Emergent) सभा बुलाई जा सकती है।



- (5) किसी विषय पर तुरन्त निर्णय लेना आवश्यक लगे तो प्रस्ताव लिखित रूप में भेजकर सदस्यों का मत मंगवाकर बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी विषय पर बहुमत से ज्यादा मतों की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है।
- (6) सभा की कार्यवाही को महामन्त्री लिखवाने की व्यवस्था करेंगे तथा उसे अध्यक्ष से अधिकृत करवाकर अगली सभा में स्वीकृत करवायेंगे।
- (7) अध्यक्ष/महामन्त्री उचित समझे तो सदस्यों के अलावा भी किन्हीं व्यक्ति विशेष को सभा में निमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन निमंत्रित सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे।
- (8) सभा में निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे, परन्तु यदि किसी बिन्दु/परिस्थिति में यदि बहुमत से ज्यादा मतों की आवश्यकता बतायी गयी हो, तो तदनुसार मतों से होंगे।

13. कार्यभार देना व लेना :-

निवर्तमान पदाधिकारी अपना कार्यभार नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन के 15 (पंद्रह) दिन के अन्दर सौंप देंगे।

14. बैंक में हिसाब खोलना :-

प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी शिड्यूल्ड को आपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकेगी। खाते से प्रत्याहरण अध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से किया जावेगा। प्रबन्धकारिणी समिति किसी अन्य को भी खाते से प्रत्याहरण हेतु अधिकृत कर सकेगी।

15. नियमावली में संशोधन या परिवर्तन :-

संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों के उचित प्रबन्ध तथा संस्था के हित में आवश्यक समझा जाये तो संस्था के विधान, नियमावली आदि में संशोधन या परिवर्तन साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 (दो तिहाई) मतों से किया जा सकता है। सभा की सूचना में इसका पूर्ण विवरण देना होगा।

16. परिवर्तन :-

परिवर्तन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार की जायेगी।



17. सदस्यता से वंचित :-

निम्नांकित अवस्थाओं में किसी को भी सदस्यता से वंचित किया जा सकेगा।

- (क) किसी के पागल होने तथा त्याग पत्र देने पर।
- (ख) नियमों तथा उप नियमों के पालन करने की अयोग्यता पर।
- (ग) प्रबन्धकारिणी समिति की सभाओं में बिना किसी उचित व लिखित कारण के लगातार पाँच बार अनुपस्थित रहने पर प्रबन्धकारिणी समिति के पद या सदस्यता से।

18. सम्पत्ति का निस्तारण :-

सदन की किसी अचल सम्पत्ति को बेचना संस्था के हित में यदि उचित व आवश्यक समझा जावे तो उसके लिए उस विषय पर बुलाई साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के 3/4 सदस्यों के बहुमत से अनुमति लिए जाने पर अध्यक्ष व महामन्त्री को अन्य पदाधिकारियों की सलाह से बेचने का अधिकार होगा।

19. आय के साधन :-

संस्था की साधारण सभा प्रबन्धकारिणी सभा द्वारा निर्धारित पर उचित माध्यमों से, जो कानून द्वारा वर्जित न हो, धन एकत्रित करने का अधिकार होगा। आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित होंगे।

- (1) अनुदान एवं दान आदि।
- (2) सरकार या जनता से अनुदान अथवा ग्रेट।
- (3) विभिन्न मनोरंजन के साधन जो कानून द्वारा वर्जित न हो।

20. न्यायालय में प्रतिनिधित्व :-

सदन का महामन्त्री न्यायालय के सब कार्यों को करेगा और सदन की ओर से उसके लिए अध्यक्ष की सहमति से अधिवक्ता, सोलीसीटर और मुख्तार नियुक्त करेगा।

21. पदच्युतता :-

उपरोक्त नियम क्रमांक 17 की उपधाराओं तथा सदन की साधारण सभा की विशेष बैठक में उपस्थित 2/3 (दो-तिहाई) सदस्यों की उपस्थिति में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी प्रस्ताव के पास होने के अतिरिक्त, सदन के किसी भी पदाधिकारी को पदच्युत नहीं किया जा सकेगा।

22. सूचनाएँ :-

सभी प्रकार की सूचनाएँ प्रबन्धकारिणी समिति के महामन्त्री द्वारा प्रेषित तथा प्राप्त होगी।

23. भेंट की स्वीकृति :-

सभी प्रकार की चल व अचल भेंट की स्वीकृति का अधिकार सदन के आधार पर प्रबन्धकारिणी समिति के मंत्री को होगा।


24. विधान में स्पष्ट उल्लेख न होने पर :-

ऐसा कोई भी विषय या बिन्दु जिसका विधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं हों, उसके लिए अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो की स्वीकृति से लिया गया निर्णय मान्य होगा।


विघटन :-

25. विघटन के लिए समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जानी आवश्यक होगी।

26. रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान अजमेर को संस्था के निरीक्षण करने का अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।



रामकुमार मूतड़ा  
अध्यक्ष



सुनिलकुमार मून्दड़ा  
महामंत्री

श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, पुष्कर



# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

(क्रमांक 228-1971-72)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, पुष्कर जिला अजमेर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक सोलह माह नवम्बर सन् एक हजार नौ सौ इकहत्तर को जयपुर में दिया गया।

ह.  
रजिस्ट्रार संस्थायें राजस्थान  
जयपुर

## सेवा सदन का मूल विधान (16.11.1971) सात बार

साधारण सभा द्वारा संशोधित किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

- |               |            |
|---------------|------------|
| 1. साधारण सभा | 18.11.1975 |
| 2. साधारण सभा | 16.11.1986 |
| 3. साधारण सभा | 04.11.1998 |
| 4. साधारण सभा | 14.05.2000 |
| 5. साधारण सभा | 29.11.2001 |
| 6. साधारण सभा | 08.12.2007 |
| 7. साधारण सभा | 13.11.2011 |

## मार्गदर्शक / सलाहकार

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| 1. श्री गोपालकृष्ण छापरवाल | ईचलकरणजी        |
| 2. श्री हेमराज मराडिया     | मुम्बई          |
| 3. श्री राघामोहन सोनी      | मेड़ता सिटी     |
| 4. श्री रामस्वरूप जैथलिया  | थांवला-जालौर    |
| 5. श्री नन्दलाल काबरा      | मकराना          |
| 6. श्री दामोदरलाल बंग      | जोधपुर          |
| 7. श्री नथमल विड़ला        | मेड़ता सिटी     |
| 8. श्री ओमप्रकाश सोनी      | नोएडा-दिल्ली    |
| 9. श्री जोधराज लद्दा       | कोलकत्ता-राबीजी |



# श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा मन्दन, पुष्कर

प्रबन्धकारिणी समिति सदस्य - सत्र - 2008-2012

1. रामकुमार भूतड़ा	डोडियाना	अध्यक्ष	37. जानकीलाल मृन्दा	उदयपुर	"
2. चतरलाल मृन्दा	उदयपुर	उपाध्यक्ष	38. श्यामसुन्दर मंत्री	कुचामगरिस्टी	"
3. श्यामसुन्दर छापरवाल	अजमेर	उपाध्यक्ष	39. बंकटलाल बजाज	जालौर	"
4. शरद मृन्दा	जोधपुर	उपाध्यक्ष	40. रामस्वरूप इंदर ( मोदी )	परबतसर	"
5. वावृप्रसाद खटोड़	अहमदाबाद	उपाध्यक्ष	41. सोहनलाल राठी	जोधपुर	"
6. सुनीलकुमार मृन्दा	अजमेर	महामंत्री	42. हंसराज धृत	जोधपुर	"
7. कमलकिशोर चांडक	खीवसर	कोषाध्यक्ष	43. रामानन्द काबरा	जोधपुर	"
8. वेणीगोपाल मंत्री	पुष्कर	मंत्री	44. सुरजनारायण रान्दड़	मकराना	"
9. अनिलकुमार बांगड़	भीलवाड़ा	मंत्री	45. बाबूलालजी जाजू	भीलवाड़ा	"
10. बृजगोपाल भूतड़ा	जयपुर	मंत्री	46. केदारमल भाला	जयपुर	"
11. प्रह्लाद शाह	जोधपुर	मंत्री	47. रामबिलास मंत्री	जोधपुर	"
12. केशरीचन्द तापड़िया	श्रीबालाजी	का. मंत्री	48. मदनलाल मालानी	नाथद्वारा	"
13. रामपाल सोनी	भीलवाड़ा	सदस्य	49. शिवरत्न बाहेती	धीनगर	सदस्य
14. बंशीलाल राठी	चेन्नई	"	50. रतनलाल खटीड़	डेगाना	"
15. रमेशकुमार बंग	हैदराबाद	"	51. दिलीपकुमार जाजू	ध्यावर	"
16. रामअवतार जाजू	इन्दौर	"	52. राजाराम भांगड़िया	सदटाणा	"
17. रामनिवास जैधलिया	मुम्बई	"	53. रामरत्न भूतड़ा	सूरत	"
18. चन्दनमल मंत्री	इचलकरंजी	"	54. पवनकुमार होलानी	भुच्चोपण्डी	"
19. राधेश्याम राठी,	सूरत	"	55. बृजकिशोर सुरजन	राजनान्दगांव	"
20. रामअवतार जाजू	सूरत	"	56. इन्दरलाल छापरवाल	नाथद्वारा	"
21. प्रदलादराज भूतड़ा	इचलकरंजी	"	57. लालचन्द दरक	मुम्बई	"
22. जेठमल बूढ	जोधपुर	"	58. शंकरलाल बाहेती	अहमदाबाद	"
23. तुलसीदास मृन्दा	जोधपुर	"	59. रामनारायण दिग्गा	नाथद्वारा	"
24. भंवरलाल टाथरी	शालोतरा	"	60. अतुलकुमार माहेश्वरी	अजमेर	"
25. श्रीकिशन सोमानी	भाली-मारवाड़	सदस्य	61. विष्णुगोपाल सोमानी	शाली	"
26. ओमप्रकाश नवाल	शिवनगर	"	62. गोपाललाल काबरा	किशनगढ़	"
27. श्रीगोपाल सोनी	किशनगढ़	"	63. भागीरथ हेडा	ध्यावर	"
28. भाराचन्द शाखा	सायला	"	64. मदनगोपाल वास्वी	शिवनगर	"
29. बजरंगलाल सदटाणी	नीरामण्डी	"	65. संदीप काबरा	जोधपुर	"
30. अशोककुमार राठी	अजमेर	"	66. लेखराज माहेश्वरी	जयपुर	"
31. गोपीविश्वान बंग	पेड़नासिटी	"	67. रामेश्वरलाल भूतड़ा	भीलवाड़ा	"
32. राधाराज खिडला	कंवरियाट	"	68. अमरचन्द बिड़ला	पेड़नासिटी	"
33. गोपालकृष्ण सोनी	पेड़नासिटी	"	69. रमेशचन्द्र भराड़िया	ध्यावर	"
34. मृधाधरचन्द्र काबरा	अजमेर	"	70. जगदीशप्रसाद सोमानी	भीलवाड़ा	"
35. विष्णुप्रसाद चाण्डक	अजमेर	"	71. पंचराज बिड़ला	विलीडमड़	"
36. जगदीशप्रसाद राठी	रियांवड़ी	"			